बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना-15, दिनांक 11.04.2019

श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से.(2007), सम्प्रति निलम्बित के भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित आरोप प्राप्त होने पर इसकी प्रारंभिक जाँच विशेष निगरानी इकाई, बिहार के द्वारा की गयी और इसमें पाए गए तथ्यों के आधार पर श्री आनंद एवं उनकी पत्नी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम-1988 की संगत धाराओं के अधीन थाना कांड संख्या-01/2018 दिनांक 02.01.2018 दर्ज किया गया है और उनके पत्रांक-04/09/2018/वि.नि. इ./पटना, दिनांक 02.01.2018 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को प्रतिवेदित किया गया।

2. इस मामले की गंभीरता, इसमें निहित नैतिक नीचता और भ्रष्टाचार के आरोप रहने एवं मामले के अनुसंधान अंतर्गत होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से.(2007) को अखिल भारतीय सेवाएँ, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3(3) के अधीन तत्कालिक प्रभाव से विभागीय आदेश संख्या-1442 दिनांक 30.01. 2018 के द्वारा निलम्बित किया गया।

3. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-3(8) के अधीन श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से.(2007) के निलम्बन की समीक्षा राज्य निलंबन समीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर की गयी और उनके विरूद्ध दर्ज उक्त विशेष निगरानी कांड की गंभीरता, इसमें भ्रष्टाचार के आरोपों के अंतर्निहित होने और मामले के अनुसंधान अंतर्गत होने के कारण उनके निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी। तद्नुसार राज्य सरकार के आदेश के आलोक में उनका निलम्बन बरकरार रखा गया।

4. इस मामले में श्री आनंद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-8 के अधीन विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक-7811 दिनांक 13.06.2018 के द्वारा आरोप पत्र आदि निर्गत कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। श्री आनंद के विरूद्ध दर्ज उक्त थाना कांड अनुसंधान अंतर्गत है। जिसमें अनुसंधान पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर दिनांक 05.04.2019 को आहूत निलंबन समीक्षा समिति की बैठक में श्री आनंद के निलंबन की पुनः समीक्षा की गयी। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री दीपक आनंद भा.प्र.से.(2007) को निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है।

6. निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के नियम-3(7)(C) के अधीन श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से.(2007) को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

7. अतः श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से.(2007) को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान कर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

<u>आदेश</u> :- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11.4.19

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के अपर सचिव।

कृ.पृ.उ.

ज्ञापांकः- 6/आ0-376/2006(खण्ड)-सा.प्र.- **5063** पटना-15, दिनांक- 11.04.2019

प्रतिलिपिः- श्री दीपक आनंद, भा.प्र.से.(2007)/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.4.19

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः- 6/आ0-376/2006(खण्ड)-सा.प्र.- **5063** पटना-15, दिनांक- 11.04.2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थापना पदाधिकारी, कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/सिंचाई भवन कोषागार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के प्रशाखा-01/प्रशाखा-06 (निलम्बन समीक्षा पटल हेतु) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.4.19

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः- 6/आ0-376/2006(खण्ड)-सा.प्र.- **5063** पटना-15, दिनांक- 11.04.2019

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में (द्वारा-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार) प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11.4.19

सरकार के अपर सचिव।